प्रेस नोट दिनांक-11.10.2024

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत 7/8 पॉक्सो एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (एडीजे/एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 07.06.2019 को धारा 354डी,452,506,376 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.आदर्श सिंह उर्फ लखण्डू पुत्र परमहंश निवासी जमुनीपुर थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 138/2019 धारा 354डी,452,506,376 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार आरक्षी श्याम कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-11.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (एडीजे/एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.आदर्श सिंह उर्फ लखण्डू पुत्र परमहंश निवासी जमुनीपुर थाना व जिला चन्दौली को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-11.10.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सीडि)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 22.02.2004 को धारा 323,324,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सतेन्द्र सिंह पुत्र जगरोपन सिंह निवासी वार्ड नं02 सैयदराजा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 38/2004 धारा 323,324,504 भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-11.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार (सिविल जज (सीडि)/एसीजेएम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1. सतेन्द्र सिंह पुत्र जगरोपन सिंह निवासी वार्ड नं02 सैयदराजा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 11.10.2024

जनपद चन्दौली

◆जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा 03 दिवस में कुल 44 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 03 दिवस में समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 44 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।